

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

रामगोपाल बनाम

भूमिधारी, नीमकाथाना

मुकदमा


प्रार्थना पत्र 128 भू.रा.अधि.

मु0नं0 302 सन 2024 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

सम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 128 भू. रा. अधि. दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.06.2024 को पेश हो।


(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

प्रा0 पत्र संख्या:- 302/2024

उमवान रामगोपाल बनाम भूमिधारी

27/6 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील सम्यक 2024 रूप से होना पायी जाती है। बावजूद सम्यक तामील अनु. अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.न. 632/1, 632/3 रकबा 1.2853 हैक्ट. का प्रार्थी अपने हिस्सेनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि का दिनांक 14.05.2024 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे।


बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम कुरबड़ा पटवार हल्का आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 632/1, 632/3 रकबा 1.2853 हैक्ट. प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व समस्त खातेदारान व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश


(राजवीर सिंह यादव)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम कुरबड़ा पटवार हल्का आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 632/1, 632/3 रकबा 1.2853 हैक्ट. की प्रार्थी, समस्त खातेदारान व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 14.05.2024 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

